

समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 80/2016-17 (रेलवे) 1108 / भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 21/9/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा- सिरसाकला सीट नं0-1, थाना नं0- 571, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई ए.एम.सी.एस. प्राइवेट लिमिटेड, राँची सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- सिरसाकला सीट नं0-1, थाना नं0- 571, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 9.071 एकड़ यानि हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	59	निजी	धानी I	1.619	1.163	दशरथ राणा, पिता- स्व0 लगन राणा	61, 9	62	9, 62	अंश 61, 60
2		62	निजी	धानी I	1.868	0.2905525	मो0 मीरा देवी, पति- स्व0 सिकन्दर राणा	59, 58	रहीमकित्ता	63, अंश 70	59
3						0.2905525	शिवचरण राणा, पिता- स्व0 सगन राणा				
4						0.2905525	रामजी राणा, पिता- स्व0 सगन राणा				
5						0.2905525	मो0 कम्पनी देवी, पति- स्व0 लक्ष्मण राणा				
6						0.0726	मो0 सुतरी देवी, पति- बिजल राणा				
7						0.0726	गोपी राणा, पिता- स्व0 अनन्तलाल राणा				
8						0.0726	निसोल राणा, पिता- स्व0 अनन्तलाल राणा				


9					0.0726	बली राणा, पिता- स्व0 अनन्तलाल राणा						
10					0.0726	गोविन्द राणा, पिता- स्व0 सखीलाल राणा						
11					0.0726	लोबिन राणा, पिता- स्व0 सखीलाल राणा						
12					0.0726	सुधांशु राणा, पिता- स्व0 सखीलाल राणा						
13					0.0726	धुरखेली राणा, पिता- स्व0 सखीलाल राणा						
14					0.0968	राधाकान्त राणा, पिता- स्व0 बनवारी राणा						
15					0.0968	महावीर राणा, पिता- स्व0 बनवारी राणा						
16					0.0968	मेडिल राणा, पिता- स्व0 बनवारी राणा						
17					0.2905	मोतीलाल राणा, पिता- स्व0 रामरस राणा						
18		63	निजी	धानी I	0.432	0.2374	श्यामलाल ब्रह्म, पिता- स्व0 जयकिशुन ब्रह्म	65	70	64	62	
19		64	निजी	धानी II	0.069	0.2374	शम्भुनाथ ब्रह्म, पिता- स्व0 जयकिशुन ब्रह्म	65	70	अंश 64	63	
20	4	65	निजी	धानी II	0.348	0.2374	रामलाल ब्रह्म, पिता- स्व0 जयकिशुन ब्रह्म	अंश 65	63	अंश 65	58	
21		10	निजी	धानी I	0.329	0.2374	सरतचन्द्र ब्रह्म, पिता- स्व0 जयकिशुन ब्रह्म	11	9	12	अंश 10	
22		7	निजी	धानी I	0.009	0.2374	मो० कृपा देवी, पति- स्व0 सुभाषचन्द्र ब्रह्म	10	9	10	अंश 10	
23	7	9	निजी	धानी I	1.126	1.126	नावल्द फौद	10	59	56, 58	अंश 9	
24		10	70	निजी	धानी I	1.915	0.9575	बिक्रम नारायण सिंह, पिता- स्व0 कल्पनाथ राय	62, 63, 64	71, रहीमकित्ता	अंश 70	62, रहीमकित्ता
25							0.9575	राम नारायण सिंह, पिता- स्व0 कल्पनाथ राय				
26							0.0030	मो० फूलकुमारी देवी, पति- स्व0 हरि प्रसाद गुप्ता	70	रहीमकित्ता	अंश 71	70
27							0.0030	मो० गीता देवी, पति- स्व0 बासुदेव प्रसाद गुप्ता				
28							0.0006	ओम प्रकाश गुप्ता, पिता- स्व0 सौखी मोदी				
29	12	71	निजी	धानी II	0.009		0.0006	शिवशंकर गुप्ता, पिता- स्व0 सौखी मोदी				
30							0.0006	शंभू गुप्ता, पिता- स्व0 सौखी मोदी				
31							0.0006	सरयू गुप्ता, पिता- स्व0 सौखी मोदी				

32					0.0006	गौतम गुप्ता, पिता- स्व0 सौखी मोदी				
33	11	निजी	धानी II	0.787	0.2245	मानधन झा, पिता- स्व0 हरहर झा	12	10	12	12,10
34	12	निजी	धानी II	0.560	0.2245	ललित नारायण झा, पिता- स्व0 हरहर झा	मालूयक	11	अश 12	2
35	13				0.2245	प्रकाश चन्द्र झा, पिता- स्व0 हरहर झा				
36					0.2245	सुभाष चन्द्र झा, पिता- स्व0 हरहर झा				
37					0.2245	मनोज कुमार झा, पिता- स्व0 हरहर झा				
38					0.2245	अशोक कुमार झा, पिता- स्व0 हरहर झा				
कुल :-				9.071	9.071					

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा- 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा और उनके कर्मचारी- कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा- 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।


 20/9/18
 उपायुक्त,
 गोड्डा।

ज्ञापांक 1108/भू0अ0 दिनांक :- 21/9/18

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।



20/9/18
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1108/भू0अ0 दिनांक :- 21/9/18

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा/अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।



20/9/18
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1108/भू0अ0 दिनांक :- 21/9/18

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/9/18
उपायुक्त,
गोड्डा।